



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1650 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No.: 1650

**विषय/Sub: सोलिड स्टेट कॉकपिट वोइस रिकॉर्डर (एसएससीवीआर) /
Solid State Cockpit Voice Recorder (SSCVR)**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पी.ओ: ईसीआईएल, हैदराबाद- 500 062, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित ऑडियो इंटरफेस बॉक्स, एआईवी-3 और शॉक माउंट रैक, सीएल-240-28- XX (Mi-8 और Mi-17 के लिए XX) केबल लूम सहित " सोलिड स्टेट कॉकपिट वोइस रिकॉर्डर " पार्ट सं. एमआरयू-240-28/एमआरयू-240बी-28, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1650, दिनांक 18 मार्च 2011, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1650 जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

This is to state that the "Solid State Cockpit Voice Recorder", bearing the Part No.: MRU-240-28/ MRU-240B-28, alongwith Audio Interface Box, AIB-3 and Cable Loom with Shock Mount Rack, CL-240-28-XX (XX is for Mi-8 & Mi-17) Designed, Developed and Manufactured by M/s. Electronics Corporation of India Limited, P.O: ECIL, Hyderabad – 500 062, was issued with Type Approval No.: 1650 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1650, Dated: 18th March 2011 which was valid upto 31st December 2015.

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मार्च 2016 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए.(हैदराबाद), द्वारा एचएएल हैदराबाद प्रभाग, बालानगर – 500 042, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to Certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st March 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid upto 31st December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), C/o HAL Hyderabad Division, Balanagar – 500 042 Three (3) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1650/1R

दिनांक/Date : 26 March 2016

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

28/03/16

पी जयपाल / P.JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)